इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 10] भोपाल, गुरुवार, दिनांक 8 जनवरी 2015—पौष 18, शक 1936

कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 8 जनवरी 2015

क्र. एफ 1-41-2013-बावन-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश हाथकरघा एवं हस्तशिल्प संचालनालय अराजपत्रित (अलिपिकीय) सेवा के भर्ती तथा पदोन्नति से संबंधित निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

नियम

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश हाथकरघा एवं हस्तशिल्प संचालनालय अराजपत्रित (अलिपिकीय) सेवा भर्ती नियम, 2014 है.

(2) ये मध्यप्रदेश राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे.

2. **परिभाषाएं.**—इन नियमों में, जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) सेवा के संबंध में ''नियुक्ति प्राधिकारी'' से अभिप्रेत है 'आयुक्त / संचालक हाथकरघा एवं हस्तशिल्प या उसका अधीनस्थ कोई अधिकारी;

(ख) ''समिति'' से अभिप्रेत है चयन समिति / विभागीय पदोन्नति समिति;

(ग) ''परीक्षा'' से अभिप्रेत है नियम 11 के अधीन सेवा में भर्ती के लिए आयोजित की गई प्रतियोगिता परीक्षा;

(घ) ''सरकार'' से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश सरकार;

(ङ) ''राज्यपाल'' से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश के राज्यपाल;

(च) ''अन्य पिछड़ा वर्ग'' से अभिप्रेत है, राज्य शासन द्वारा, समय-समय पर, यथासंशोधित अधिसूचना क्रमांक एफ 8-5-पच्चीस-4-84, दिनांक 26 दिसम्बर, 1984 द्वारा यथाविनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग;

(छ) ''व्यावसायिक परीक्षा मण्डल'' से अभिप्रेत है, व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, भोपाल;

(ज) ''अनुसूची'' से अभिप्रेत है इन नियमों से संलग्न अनुसूची;

(झ) ''अनुसूचित जातियों'' से अभिप्रेत है कोई जाति, मूलवंश या जनजाति अथवा जाति, मूलवंश या समुदाय का भाग या उसमें का यूथ, जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जातियों के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया हो;

(ञ) "अनुसूचित जनजाति" से अभिप्रेत है, कोई जनजाति, या जनजाति समुदाय अथवा ऐसी जनजाति या जनजाति समुदाय का भाग या उसमें का यूथ, जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजातियों के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया हो;

(ट) "सेवा" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश हाथकरघा संचालनालय अराजपत्रित (अलिपिकीय) सेवा;

(ठ) "राज्य" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश राज्य।

3. **विस्तार तथा लागू होना.–**

मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 में अन्तर्विष्ट उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ये नियम अनुसूची–एक में यथाउल्लिखित सेवा के प्रत्येक सदस्य पर लागू होंगे।

4. **सेवा का गठन.–**

सेवा में निम्नलिखित व्यक्ति सम्मिलित होंगे, अर्थात् :–

(1) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारम्भ होने के समय अनुसूची–एक में विनिर्दिष्ट पदों को मूल रूप से या स्थानापन्न रूप से धारण कर रहे हों;

(2) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारंभ होने से पूर्व, सेवा में भर्ती किए गए हों; और

(3) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के उपबंधों के अनुसार सेवा में भर्ती किए गए हों।

5. **सेवा का वर्गीकरण, वेतनमान आदि** – (1) सेवा का वर्गीकरण, सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या तथा उससे संलग्न वेतनमान अनुसूची–एक में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार होगी :

परन्तु सरकार, समय–समय पर, सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या में या तो स्थायी या अस्थायी आधार पर वृद्धि या कमी कर सकेगी।

(2) सेवा के सदस्य वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ–11–1–2008–चार दिनांक 24.02.2008 के अधीन समयमान वेतनमान पाने के हकदार होंगे।

6. **भर्ती का तरीका.**– (1) इन नियमों के प्रारम्भ होने के पश्चात्, सेवा में भर्ती निम्नलिखित तरीकों से की जाएगी, अर्थात् :–

(क) सीधी भर्ती द्वारा, प्रतियोगिता परीक्षा/चयन या साक्षात्कार या दोनों द्वारा;

(ख) अनुसूची–चार के कॉलम (2) में यथाविनिर्दिष्ट सेवा के सदस्यों की पदोन्नति द्वारा;

(ग) ऐसे व्यक्तियों के स्थानान्तरण द्वारा, जो ऐसी सेवाओं में ऐसे पदों को मूल रूप में या स्थानापन्न हैसियत में धारण करते हैं जैसा कि सरकार द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट किया जाए ।

(2) उपनियम (1) के खण्ड (ख) या खण्ड (ग) के अधीन भर्ती किए गए व्यक्तियों की संख्या, किसी भी समय, अनुसूची–एक में विनिर्दिष्ट पदों की संख्या के अनुसूची–दो में विनिर्दिष्ट किए गए प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

(3) इन नियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, भर्ती की किसी विशिष्ट कालावधि के दौरान भरे जाने के लिए अपेक्षित सेवा में किसी विशिष्ट रिक्ति या रिक्तियों को भरने के प्रयोजन के लिए अपनाया जाने वाला भर्ती का तरीका या तरीके तथा प्रत्येक तरीके द्वारा भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या, प्रत्येक अवसर पर, यदि अपेक्षित हो, आयोग के परामर्श से सरकार द्वारा अवधारित की जाएगी।

(4) उपनियम (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि सरकार की राय में सेवा की अत्यावश्यकताओं को देखते हुए, ऐसा करना अपेक्षित हो, तो वह सामान्य प्रशासन विभाग तथा आयोग की पूर्व सहमति के पश्चात् उक्त उप नियम में विनिर्दिष्ट सेवा में सेवा में भर्ती के तरीकों से भिन्न, ऐसे अन्य तरीके अपना सकेगी, जो वह इस निमित्त जारी किए गए आदेश द्वारा विहित करे।

7. **सेवा में नियुक्ति.**– इन नियमों के प्रारम्भ होने के पश्चात्, सेवा या पद पर समस्त नियुक्तियां सरकार द्वारा की जाएंगी और ऐसी कोई भी नियुक्ति नियम 6 में विनिर्दिष्ट भर्ती के तरीकों में से किसी एक तरीके द्वारा चयन के पश्चात् ही की जाएगी, अन्यथा नहीं।

8. **सीधी भर्ती के लिए पात्रता की शर्तें.**– परीक्षा में चयन के लिए पात्र होने हेतु अभ्यर्थी को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी, अर्थात् :–

(1) आयु :–

(क) उसने परीक्षा/चयन प्रारंभ होने की तारीख के ठीक आगामी जनवरी के प्रथम दिन को अनुसूची–तीन के कॉलम (3) में यथाविनिर्दिष्ट आयु पूरी कर ली हो, और उक्त अनुसूची के कालम (4) में यथाविनिर्दिष्ट आयु पूरी न की हो;

(ख) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों से संबंध रखने वाले अभ्यर्थी के लिए उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी;

(ग) उन अभ्यर्थियों के संबंध में, जो मध्यप्रदेश सरकार के कर्मचारी हैं या कर्मचारी रह चुके हैं, आयु सीमा उस सीमा तक तथा नीचे विनिर्दिष्ट शर्तों के अध्यधीन रहते हुए शिथिलनीय होगी :–

(एक) कोई अभ्यर्थी, जो स्थायी सरकारी सेवक हो, 45 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए;

(दो) कोई अभ्यर्थी, जो अस्थायी रूप से पद धारण कर रहा हो तथा किसी अन्य पद के लिए आवेदन कर रहा हो, 45 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए। यह रियायत आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों, कार्यभारित कर्मचारियों तथा परियोजना कार्यान्वयन समिति में कार्यरत कर्मचारियों को भी अनुज्ञेय होगी;

(तीन) कोई अभ्यर्थी, जो छंटनी किया गया सरकारी सेवक हो, अपनी आयु में से, उसके द्वारा पूर्व में की गई समस्त अस्थायी सेवा की अधिकतम 7 वर्ष तक की कालावधि, भले ही वह कालावधि एक से अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो, कम करने के लिए अनुज्ञात की जाएगी, बशर्ते कि इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह उच्चतम आयु–सीमा से 5 वर्ष से अधिक नहीं हो;

स्पष्टीकरण – शब्द "छंटनी किए गए शासकीय कर्मचारी" से द्योतक है ऐसे व्यक्ति जो इस राज्य अथवा किसी भी संघटक इकाई की अस्थायी शासकीय सेवा में छह मास तक निरंतर रहा हो तथा जिसे रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने अथवा शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन देने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किये जाने के कारण सेवोन्मुक्त किया गया हो।

(चार) कोई अभ्यर्थी जो भूतपूर्व सैनिक है, अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की कालावधि कम करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, बशर्ते कि

इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह उच्चतर आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो।

स्पष्टीकरण – शब्द "भूतपूर्व सैनिक" से द्योतक है, ऐसा व्यक्ति, जो निम्नलिखित प्रवर्गों में से किसी एक प्रवर्ग का हो और जो भारत सरकार के अधीन कम से कम छह मास की कालावधि तक निरन्तर नियोजित रहा है और जिसकी किसी भी रोजगार कार्यालय में अपना रजिस्ट्रीकरण कराने या सरकारी सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व, मितव्ययिता इकाई की सिफारिश के फलस्वरूप या स्थापना में सामान्य रूप से कमी किए जाने के कारण छंटनी की गई थी या जो अतिशेष घोषित किया गया हो अर्थात् –

(1) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें सेवानिवृत्ति (मस्टरिंग आउट कन्सेशन) रियायतों के अधीन निर्मुक्त कर दिया गया हो।

(2) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें दूसरी बार नामांकित किया गया हो, और जिसे

(क) अल्पकालीन वचनबंध पूर्ण हो जाने पर,

(ख) नामांकन संबंधी शर्तें पूर्ण हो जाने पर, सेवोन्मुक्त कर दिया गया हो।

(3) मद्रास सिविल इकाई (यूनिट) के ऐसे भूतपूर्व सैनिक।

(4) संविदा पूरी होने पर सेवोन्मुक्त किये गये ऐसे अधिकारी (सैनिक तथा असैनिक) जिसमें अल्पावधि सेवा में नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारी भी सम्मिलित हैं।

(5) ऐसे अधिकारी जिन्हें अवकाश रिक्तियों पर छह मास से अधिक समय तक कार्य करने के पश्चात् सेवोन्मुक्त कर दिया गया हो।

(6) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें अशक्त होने के कारण सेवा से अलग किया गया है।

(7) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें इस आधार पर सेवोन्मुक्त किया गया है कि अब वे दक्ष सैनिक बनने योग्य नहीं हैं।

(8) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें गोली लग जाने तथा घाव आदि हो जाने के कारण सेवा से अलग कर दिया गया हो।

(घ) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन कार्यक्रम के अधीन पुरस्कृत सवर्ण पति–पत्नी के मामले में सामान्य उच्चतर आयु सीमा 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी;

(ङ) विधवा, निराश्रित व तलाकशुदा महिला अभ्यर्थियों के संबंध में सामान्य आयु सीमा 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी :

(च) परिवार कल्याण कार्यक्रम के अधीन ग्रीन कार्ड धारकों के संबंध में उच्चतर आयु सीमा 2 वर्ष तक शिथिलनीय होगी;

(छ) "विक्रम पुरस्कार" धारक अभ्यर्थियों के संबंध में उच्चतर आयु–सीमा 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी;

(ज) ऐसे अभ्यर्थियों के संबंध में जो मध्यप्रदेश राज्य निगम/मण्डल के कर्मचारी हैं, उच्चतर आयु सीमा 45 वर्ष तक शिथिलनीय होगी;

(झ) स्वयं सेवी नगर सैनिकों तथा नान कमीशन्ड अधिकारियों के संबंध में उनके द्वारा की गई नगर सेना सेवा की कालावधि के लिए की उच्चतर आयु सीमा 3 वर्ष की सीमा के अध्यधीन रहते हुए शिथिलनीय होगी, किन्तु किसी भी दशा में उनकी आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं हो;

(ञ) निराश्रित अभ्यर्थियों के लिए उच्चतर आयु सीमा राज्य सरकार द्वारा, समय– समय पर जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार शिथिलनीय होगी।

टिप्पणी.–(1) ऐसे अभ्यर्थी जो उपर्युक्त नियम 8 के उपनियम (1) के खण्ड (ग) के उपखण्ड (एक) तथा (दो) में उल्लिखित आयु संबंधी रियायतों के अधीन परीक्षा/चयन के लिए पात्र पाए जाते हैं, यदि आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात् परीक्षा/चयन के या तो पूर्व में या उसके पश्चात् सेवा से त्यागपत्र दे देते हैं तो वे नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे । तथापि, यदि आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात् उनकी सेवा या पद से छंटनी की जाती है तो वे पात्र बने रहेंगे। किसी अन्य मामले में उनकी आयु सीमा शिथिल नहीं की जाएगी ।

(2) विभागीय अभ्यर्थियों को चयन में प्रवेश के लिए नियुक्ति प्राधिकारी की अनुज्ञा अभिप्राप्त करनी होगी।

(3) इस खण्ड में उपबंधित सभी प्रकार आयु रियायतों को सम्मिलित करने के पश्चात्, किसी भी दशा में अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी। अधिकतम आयु सीमा की गणना सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्र 3–11/12/1/3, दिनांक 03.11.12 एवं 20.11.12 के अनुसार की जाएगी ।

(2) **शैक्षणिक अर्हताएं.**– अभ्यर्थी के पास अनुसूची–तीन में यथाविनिर्दिष्ट सेवा के लिए विहित शैक्षणिक अर्हताएं होनी ही चाहिए ।

परन्तु –

(क) व्यावसायिक परीक्षा मण्डल आपवादिक मामलों में, सरकार के परामर्श से, उसकी सिफारिश पर किसी ऐसे अभ्यर्थी को अर्ह मान सकेगा, जिसके पास यद्यपि इन खण्ड में विहित अर्हताओं में से कोई अर्हता नहीं हो, किंतु जिसने अन्य संस्थाओं द्वारा संचालित परीक्षाएं ऐसे स्तर से उत्तीर्ण की हो जो व्यावसायिक परीक्षा मण्डल की राय में अभ्यर्थी को परीक्षा/चयन में प्रवेश के लिए पात्र ठहराता हो;

(ख) ऐसे अभ्यर्थी जो अन्यथा अर्ह हैं, किंतु जिन्होंने ऐसे विदेशी विश्वविद्यालयों से उपाधि प्राप्त की हो, जो ऐसे विश्वविद्यालय हैं, जिन्हें सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट रूप से मान्यता नहीं दी गई है, उन पर भी व्यावसायिक परीक्षा मण्डल स्वविवेक से चयन में उपस्थित होने के लिए विचार किया जा सकेगा ।

(3) **फीस.**– अभ्यर्थी को व्यावसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा विहित की गई फीस का भुगतान करना होगा।

9. **निरर्हताएं**– (1) अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए किसी भी साधन से समर्थन अभिप्राप्त करने के किसी भी प्रयास को व्यावसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा परीक्षा/ चयन में उसके उपस्थित होने के लिए निरर्हता माना जा सकेगा ।

(2) कोई भी अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा, जिसने विवाह के लिए नियत की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो।

(3) कोई भी व्यक्ति जिसकी दो से अधिक जीवित संतान हों जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात् हुआ हो किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा :

परन्तु कोई भी ऐसा अभ्यर्थी जिसकी पहले से ही एक जीवित संतान हो, तथा आगामी प्रसव 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात् हुआ हो, जिसमें दो या दो से अधिक संतान का जन्म होता है, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए निरर्हित नहीं होगा।

(4) कोई भी अभ्यर्थी जिसे महिलाओं के विरूद्ध किसी अपराध का दोषसिद्ध ठहराया गया हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा :

परन्तु जहां किसी अभ्यर्थी के विरूद्ध न्यायालय में ऐसे मामले लंबित हैं, तो उसकी नियुक्ति आपराधिक मामले का अन्तिम विनिश्चय होने तक लंबित रखी जाएगी।

(5) पुरूष अभ्यर्थी जिसकी एक से अधिक जीवित पत्नियां हैं और महिला अभ्यर्थी के मामले में, जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह कर लिया है जिसकी पहले से ही जीवित पत्नी है, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा/होगी।

10. **अभ्यर्थियों की पात्रता के संबंध में विभाग का विनिश्चय अंतिम होगा.**– चयन में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी की पात्रता अथवा अपात्रता के संबंध में आयोग का विनिश्चय अंतिम होगा और किसी भी ऐसे अभ्यर्थी को, जिसे व्यावसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा प्रवेश प्रमाण–पत्र जरी नहीं किया गया है, परीक्षा/साक्षात्कार में उपस्थित होने के लिए अनुज्ञात नही किया जाएगा ।

11. **प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा सीधी भर्ती.**– (1) सेवा में भर्ती के लिए प्रतियोगिता परीक्षा तथा साक्षात्कार ऐसे अंतरालों से ली जाएगी, जैसा कि सरकार मण्डल के परामर्श से, समय–समय पर अवधारित करे।

(2) मण्डल द्वारा परीक्षा सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशो के अनुसार संचालित की जाएगी ।

(3) सीधी भर्ती के प्रकम पर अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के लिए 16 प्रतिशत तथा 20 प्रतिशत और अन्य पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों के लिए 14 प्रतिशत पद आरक्षित किए जाएंगे । 6 प्रतिशत पद शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित रखे जाएंगे ।

(4) इस प्रकार आरक्षित रिक्त पदों को भरते समय अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के सदस्यों की नियुक्ति उसी क्रम में की जाएगी, जिस कम में उनके नाम, नियम 12 में निर्दिष्ट सूची में आए हों चाहे अन्य अभ्यर्थियों की तुलना में उनका सापेक्षिक स्थान (रैंक) कुछ भी क्यों न हो।

(5) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित अभ्यर्थियों को, जिन्हें व्यावसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा प्रशासन में दक्षता बनाए रखने का सम्यक् ध्यान रखते हुए सेवा में नियुक्ति के लिए उपयुक्त घोषित किया जाए, यथास्थिति, यथाउल्लिखित अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रिक्तियों पर नियुक्त किया जा सकेगा।

(6) यदि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थी उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए पर्याप्त संख्या में उपलब्ध न हो सकें तो शेष रिक्तियां सरकार की पूर्व अनुमति के बिना अन्य प्रवर्ग के अभ्यर्थियों से नहीं भरी जाएंगी और पद तब तक अग्रेषित नहीं किए जाएंगे, जब तक कि उपयुक्त अभ्यर्थी सेवा में उपलब्ध न हों ।

(7) ऐसी दशाओं में, जहां सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों के लिए कुछ कालावधि का अनुभव आवश्यक शर्त के रूप में विहित किया गया है और नियुक्ति प्राधिकारी या सक्षम प्राधिकारी की राय में ऐसी संभावना पायी जाती है कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं हो सकेंगे, तो नियुक्ति प्राधिकारी अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों के अनुभव की शर्त को शिथिल कर सकेगा ।

(8) सरकार द्वारा उपनियम (3) में यथाउल्लिखित निःशक्त व्यक्तियों के लिए पद आरक्षित रखे जाएंगे । आरक्षण समस्तर और प्रभागवार होगा ।

12. **चयन समिति द्वारा सिफारिश किए गए अभ्यर्थियों की सूची.–** (1) नियुक्ति प्राधिकारी उन अभ्यर्थियों की योग्यता के क्रम में एक सूची तैयार करेगा और प्रकाशित करेगा, जो ऐसे स्तर से अर्ह हों, जैसा कि नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अवधारित किया जाए तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों की सूची, जो यद्यपि उस स्तर से अर्हित नहीं है किंतु जिन्हें प्रशासन में दक्षता बनाए रखने का समुचित् ध्यान रखते हुए समिति द्वारा सेवा में नियुक्ति के लिए उपयुक्त घोषित किया गया हो, योग्यता के क्रम में तैयार करेगा और सरकार को अग्रेषित करेगा और यह सूची सर्वसाधारण की जानकारी के लिए भी प्रकाशित की जाएगी।

(2) इन नियमों तथा मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिए उसी क्रम में विचार किया जाएगा जिस क्रम में उनके नाम सूची में आए हों।

(3) सूची में किसी अभ्यर्थी का नाम सम्मिलित हो जाने से उसे नियुक्ति के लिए तब तक कोई अधिकार प्राप्त नहीं हो जाता जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी का, ऐसी जांच करने के पश्चात्, जैसी कि वह आवश्यक समझे, यह समाधान न हो जाए कि अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त है।

13. सीमित प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से लिपिकवर्गीय कर्मचारिवृन्द से सहायक ग्रामीण विकास अधिकारी हाथकरघा/कनिष्ठ ग्रामीण विकास अधिकारी हाथकरघा के पद पर चयन द्वारा सीधी भर्ती:– (1) हाथकरघा संचालनालय और उसके अधीनस्थ कार्यालयों के लिपिकवर्गीय कर्मचारिवृन्द के बीच में से चयन द्वारा सहायक ग्रामीण विकास अधिकारी हाथकरघा/कनिष्ठ ग्रामीण विकास अधिकारी का पदभरने के लिए नियुक्ति प्राधिकारी उस समय तक वार्षिक रूप से पद धारण करेगा जैसा कि अनुसूची–पांच में लागू की गई स्कीम के अनुसार सीमित प्रतियोगी परीक्षा वह अवधारित करे ।

(2) ऐसी नियुक्ति के लिए उपलब्ध रिक्तियों के 16 प्रतिशत, 20 प्रतिशत तथा 14 प्रतिशत उन अभ्यर्थियों के लिए जो क्रमशः अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के सदस्य हैं, आरक्षित रखे जाएंगे ।

(3) इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को भरते समय अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों की नियुक्ति हेतु उसी क्रम में विचार किया जाएगा जिस क्रम से उनके नाम उप नियम (1) में निर्दिष्ट सूची में आए हों, भले ही अन्य अभ्यर्थियों की तुलना में उनका सापेक्षिक रैंक कुछ भी क्यों न हो ।

(4) यदि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थी उनके लिए आरक्षित सभी रिक्तियों को भरने के लिए पर्याप्त संख्या में उपलब्ध न हों तो शेष रिक्तियां राज्य सरकार की अनुज्ञा के बिना अन्य अभ्यर्थियों से नहीं भरी जाएंगी ।

(5) नियुक्ति हेतु सिफारिश किए गए उपयुक्त अभ्यर्थियों की सूची:– ऐसे अभ्यर्थियों की सूची जो ऐसे स्तर से अर्हित हों जैसा कि अनुसूची–पांच में अधिकथित हैं। योग्यता के क्रम में क्रमांकित सूची तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के उन अभ्यर्थियों की सूची, जो यद्यपि उक्त स्तर से अर्हित नहीं हैं किंतु जिन्हें प्रशासन में दक्षता बनाए रखने का समुचित ध्यान रखते हुए नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा सेवा में नियुक्ति हेतु उपयुक्त घोषित किया है, तैयार की जाएगी ।

(3) सूची में किसी अभ्यर्थी का नाम सम्मिलित हो जाने से उसे नियुक्ति के लिए तब तक कोई अधिकार प्राप्त नहीं हो जाता जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी का, ऐसी जांच करने के पश्चात्, जैसी कि वह आवश्यक समझे, यह समाधान न हो जाए कि अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त है।

13. **सीमित प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से लिपिकवर्गीय कर्मचारिवृन्द से सहायक ग्रामीण विकास अधिकारी हाथकरघा/कनिष्ठ ग्रामीण विकास अधिकारी हाथकरघा के पद पर चयन द्वारा सीधी भर्ती:–** (1) हाथकरघा संचालनालय और उसके अधीनस्थ कार्यालयों के लिपिकवर्गीय कर्मचारिवृन्द के बीच में से चयन द्वारा सहायक ग्रामीण विकास अधिकारी हाथकरघा/कनिष्ठ ग्रामीण विकास अधिकारी का पदभरने के लिए नियुक्ति प्राधिकारी उस समय तक वार्षिक रूप से पद धारण करेगा जैसा कि अनुसूची–पांच में लागू की गई स्कीम के अनुसार सीमित प्रतियोगी परीक्षा वह अवधारित करे ।

(2) ऐसी नियुक्ति के लिए उपलब्ध रिक्तियों के 16 प्रतिशत, 20 प्रतिशत तथा 14 प्रतिशत उन अभ्यर्थियों के लिए जो क्रमशः अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के सदस्य हैं, आरक्षित रखे जाएंगे ।

(3) इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को भरते समय अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों की नियुक्ति हेतु उसी क्रम में विचार किया जाएगा जिस क्रम से उनके नाम उप नियम (1) में निर्दिष्ट सूची में आए हों, भले ही अन्य अभ्यर्थियों की तुलना में उनका सापेक्षिक रैंक कुछ भी क्यों न हो ।

(4) यदि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थी उनके लिए आरक्षित सभी रिक्तियों को भरने के लिए पर्याप्त संख्या में उपलब्ध न हों तो शेष रिक्तियां राज्य सरकार की अनुज्ञा के बिना अन्य अभ्यर्थियों से नहीं भरी जाएंगी ।

(5) नियुक्ति हेतु सिफारिश किए गए उपयुक्त अभ्यर्थियों की सूची:– ऐसे अभ्यर्थियों की सूची जो ऐसे स्तर से अर्हित हों जैसा कि अनुसूची–पांच में अधिकथित हैं। योग्यता के क्रम में क्रमांकित सूची तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के उन अभ्यर्थियों की सूची, जो यद्यपि उक्त स्तर से अर्हित नहीं हैं किंतु जिन्हें प्रशासन में दक्षता बनाए रखने का समुचित ध्यान रखते हुए नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा सेवा में नियुक्ति हेतु उपयुक्त घोषित किया है, तैयार की जाएगी ।

(6) इन नियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए उपलब्ध रिक्तियों पर अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिए उसी कम में विचार किया जाएगा जिस कम मे उनके नाम सूची में आए हों ।

(7) सूची में किसी अभ्यर्थी का नाम सम्मिलित किए जाने से ही उसे तब तक नियुक्ति का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी का ऐसी जांच करने के पश्चात् जैसा कि वह आवश्यक समझे, यह समाधान नहीं हो जाए कि अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त है।

14. **पदोन्नति द्वारा नियुक्ति.**– (1) पात्र अभ्यर्थियों की पदोन्नति के लिए चयन करने के लिए अनुसूची–चार में उल्लिखित सदस्यों को शामिल करते हुए एक समिति गठित की जाएगी :

(2) समिति ऐसे अंतराल से जैसा कि वह उचित समझे, बैठक लेगी लेकिन साधारणतया एक वर्ष से अंतराल अधिक न हो;

(3) पदोन्नति मे आरक्षण और विचारण के क्षेत्र की सीमा, मध्यप्रदेश सिविल सेवा पदोन्नति में आरक्षण तथा विचारण क्षेत्र की सीमा नियम 1997 के उपबंधों के अनुसार और सामान्य प्रशासन विभाग में सरकार द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों के अनुसार होगी ।

15. **पदोन्नति के लिए पात्रता की शर्तें.**– (1) उपनियम (2) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, समिति उन सभी व्यक्तियों के मामलों पर विचार करेगी जिन्होंने उस वर्ष की 1 जनवरी को उस पद पर, जिससे कि पदोन्नति की जाना है, उतने वर्षों की सेवा (चाहे स्थानापन्न या मूल रूप से) राज्य सरकार द्वारा अनुसूची चार के कॉलम (3) में यथाविनिर्दिष्ट उनके समतुल्य घोषित पद या पदों पर पूर्ण कर ली हो और जो उपनियम (2) के अनुसार विचारण क्षेत्र में आते हों :

परंतु किसी कनिष्ठ व्यक्ति को, पदोन्नति के लिए केवल इस आधार पर उससे वरिष्ठ व्यक्तियों पर अधिमान नहीं दिया जाएगा कि उसने सेवा की विहित कालावधि पूर्ण कर ली है।

(2) अभ्यर्थियों की पदोन्नति के विचारण क्षेत्र के लिए मध्यप्रदेश पदोन्नति नियम, 2002 के उपबंध यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।

16. **उपयुक्त व्यक्तियों की सूची का तैयार किया जाना.**– (1) विभागीय पदोन्नति समिति, ऐसे व्यक्तियों की एक सूची तैयार करेगी जो ऊपर नियम 15 में विहित

शर्तों को पूरा करते हों, और जिन्हें समिति द्वारा सेवा में पदोन्नति के लिए उपयुक्त समझा गया हो । यह सूची, चयन सूची तैयार किए जाने की तारीख से एक वर्ष के दौरान सेवानिवृत्ति/पदोन्नति के कारण होने वाली प्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिए पर्याप्त होगी। उक्त सूची में सम्मिलित किए गए व्यक्तियों की संख्या के 25 प्रतिशत व्यक्तियों की एक आरक्षित सूची पूर्वोक्त कालावधि के दौरान होने वाली अनपेक्षित रिक्तियों को भरने के लिए तैयार की जाएगी ।

(2) ऐसी सूची में नाम सम्मिलित करने के लिए किया जाने वाला चयन वरिष्ठता का सम्यक् रखते हुए योग्यता तथा सभी दृष्टि से उपयुक्तता पर आधारित होगा ।

(3) ऐसी सूची को तैयार करते समय सूची में सम्मिलित किए गए व्यक्तियों के नाम अनुसूची–चार के कॉलम (2) में यथाविनिर्दिष्ट पदों पर वरिष्ठता के क्रम में रखे जाएंगे ।

स्पष्टीकरण.– कोई व्यक्ति जिसका नाम चयन सूची में सम्मिलित किया गया हो, किंतु जो सूची की विधिमान्यता के दौरान पदोन्नत न हुआ हो, केवल उसके पूर्ववर्ती चयन के तथ्य से ही उन व्यक्तियों के ऊपर जिन पर कि पश्चात्वर्ती चयन में विचार किया गया है, वरिष्ठता का कोई दावा नहीं करेगा।

(4) इस प्रकार तैयार की गई सूची प्रतिवर्ष पुनर्विलोकित तथा पुनरीक्षित की जाएगी।

(5) यथास्थिति, पुनर्विलोकन या पुनरीक्षण प्रक्रिया के दौरान यदि सेवा के किसी सदस्य को अधिक्रमित करना प्रस्तावित किया जाता हो तो समिति, प्रस्तावित अधिक्रमण के लिए अपने कारणों को अभिलिखित करेगी।

17. **चयन सूची.–** (1) आयुक्त द्वारा अंतिम रूप से अनुमोदित सूची, अनुसूची चार के कालम (2) में उल्लिखित पदों से उक्त अनुसूची चार के कालम (3) में उल्लिखित पदों पर सेवा के सदस्यों की पदोन्नति के लिए चयन सूची होगी।

(2) चयन सूची सामान्यतः तब तक प्रवृत्त में रहेगी जब तक कि उसका पुनर्विलोकन या पुनरीक्षण नहीं कर लिया जाता, किन्तु उसकी विधिमान्यता उसके तैयार किए जाने की तारीख से 18 मास की कुल कालावधि से अधिक नहीं बढ़ाई जाएगी :

18. **चयन सूची से सेवा में नियुक्ति.–**

(1) चयन सूची से पद या सेवा के संवर्ग पदों पर नियुक्ति, विहित रोस्टर के अधीन राज्य सरकार द्वारा द्वारा मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (कमांक 21 सन् 1994) के उपबंधों के साथ की जाएगी ।

(2) किसी ऐसे व्यक्ति की, जिसका नाम सेवा की चयन सूची में सम्मिलित है, सेवा में नियुक्ति के पूर्व समिति से परामर्श करना सामान्यतः तब तक आवश्यक नहीं होगा, जब तक कि चयन सूची में उसका नाम सम्मिलित किए जाने और प्रस्तावित नियुक्ति की तारीख के बीच की कालावधि के दौरान उसके कार्य में ऐसी गिरावट न आई हो, जिससे कि वह नियुक्ति प्राधिकारी की राय में सेवा में नियुक्ति के लिए उसे अनुपयुक्त हो गया हो।

19. सेवा में सीधी भर्ती किए गए प्रत्येक व्यक्ति को दो वर्ष की कालावधि के लिए परिवीक्षा पर नियुक्त किया जाएगा ।

20. **पदक्रम सूची :–** इस कैडर के कर्मचारियों की पदक्रम सूची अनुसूची–एक में विनिर्दिष्ट पदों के अनुसार की जाएगी । ऐसी सूची में कर्मचारियों के नाम सेवा में उनकी वरिष्ठता के अनुसार दर्शित किए जाएंगे ।

21. **निर्वचन.–** यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उद्‌भूत होता है तो वह सरकार को निर्दिष्ट किया जाएगा, जिसका उस पर विनिश्चय अन्तिम होगा।

22. **शिथिलीकरण.–** इन नियमों में की किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह ऐसे किसी व्यक्ति के मामले में, जिसे यह नियम लागू होते हैं, राज्यपाल की ऐसी रीति में, जो उसे न्यायसंगत तथा साम्यापूर्ण प्रतीत होती हो, कार्रवाई करने की शक्ति को सीमित या कम करती है :

परन्तु कोई मामला ऐसी रीति से नहीं निपटाया जाएगा जो इन नियमों में उपबंधित रीति की अपेक्षा उस व्यक्ति के लिए कम अनुकूल हो।

23. **व्यावृत्ति.–** इन नियमों में की कोई भी बात अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्ग के लिए राज्य सरकार द्वारा, इस संबंध में, समय–समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार, उपबंध किए जाने हेतु अपेक्षित आरक्षण तथा अन्य शर्तों को प्रभावित नहीं करेगी।

24. **निरसन तथा व्यावृत्ति.**– इन नियमों के तत्स्थानी नियम और उनके प्रारंभ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त सभी नियम, इन नियमों के अन्तर्गत आने वाले विषयों के संबंध में; एतद्द्वारा निरसित किए जाते हैं :

परन्तु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन किए गए किसी आदेश या की गई किसी कार्रवाई के संबंध में यह समझा जाएगा कि वह इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन किया गया आदेश या की गई कार्रवाई है।

अनुसूची – एक
(नियम 5 देखिए)

सेवा में सम्मिलित पद, सेवा का वर्गीकरण, वेतनमान

अनुक्रमांक	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	ग्रामोद्योग विस्तार अधिकारी (हाथकरघा)	28	मध्यप्रदेश हाथकरघा एवं हस्तशिल्प संचालनालय अराजपत्रित (अलिपिकीय) सेवा	9300–34800+3600
2	सहायक ग्रामोद्योग विस्तार अधिकारी (हाथकरघा)	30	–तदैव–	5200–20200+2400
3	कनिष्ठ ग्रामोद्योग विस्तार अधिकारी (हाथकरघा)	35	–तदैव–	5200–20200+2100
4	ग्रामोद्योग विस्तार अधिकारी (तकनीकी)	25	–तदैव–	9300–34800+3600
5	ग्रामोद्योग विस्तार अधिकारी (तकनीकी)	30	–तदैव–	5200–20200+2800
6	ग्रामोद्योग विस्तार अधिकारी (तकनीकी)	35	–तदैव–	5200–20200+2100
7	तकनीकी सहायक	15	–तदैव–	5200–20200+1900

अनुसूची – दो

(नियम 6 देखिए)

अनुक्रमांक	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम	पदों की कुल संख्या	भरे जाने वाले पदों की संख्या का प्रतिशत		अन्य सेवाओं से स्थानांतरण यदि कोई हो [नियम 6(1)(ग) देखिए]	अभ्युक्ति
			सीधी भर्ती द्वारा [नियम 6(1)(क) देखिए]	पदोन्नति द्वारा [नियम 6(1)(ख) देखिए]		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
मध्यप्रदेश हाथकरघा एवं हस्तशिल्प संचालनालय अराजपत्रित (अलिपिकवर्गीय) सेवा						
1	ग्रामोद्योग विस्तार अधिकारी (हाथकरघा)	28	–	100 प्रतिशत	–	
2	सहायक ग्रामोद्योग विस्तार अधिकारी (हाथकरघा)	30	40 प्रतिशत *10 प्रतिशत	50 प्रतिशत	–	लिपिकवर्गीय काडर से
3	कनिष्ठ ग्रामोद्योग विस्तार अधिकारी (हाथकरघा)	35	90 प्रतिशत *10 प्रतिशत	–	–	लिपिकवर्गीय काडर से
4	ग्रामोद्योग विस्तार अधिकारी (तकनीकी)	25	–	100 प्रतिशत	–	–
5	सहायक ग्रामोद्योग विस्तार अधिकारी (तकनीकी)	30	50 प्रतिशत	50 प्रतिशत	–	–
6	कनिष्ठ ग्रामोद्योग विस्तार अधिकारी (तकनीकी)	35	85 प्रतिशत	15 प्रतिशत	–	–
7	तकनीकी सहायक	15	100 प्रतिशत	–	–	–

अनुसूची – तीन

(नियम 8 देखिए)

सीधी भर्ती हेतु आयु तथा पात्रता

विभाग का नाम	पद या सेवा का नाम	न्यूनतम आयु सीमा	अधिकतम आयु सीमा	न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता	तकनीकी अर्हता तथा अनुभव
मध्यप्रदेश हाथकरघा एवम हस्तशिल्प संचालनालय अराजपत्रित (अलिपिकीय) सेवा					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	सहायक ग्रामोद्योग विस्तार अधिकारी (हाथकरघा)	18 वर्ष	40 वर्ष	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कला / वाणिज्य / विज्ञान विषयों में स्नातक	–
2	कनिष्ठ ग्रामोद्योग विस्तार अधिकारी (हाथकरघा)	18 वर्ष	40 वर्ष	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कला / वाणिज्य / विज्ञान विषयों में स्नातक	–
3	सहायक ग्रामोद्योग विस्तार अधिकारी (तकनीकी)	18 वर्ष	40 वर्ष	10+2 प्रणाली के अंतर्गत भौतिक शास्त्र / रसायन शास्त्र / गणित के साथ उच्चतर माध्यमिक (12वी) उत्तीर्ण होना चाहिए	1. टेक्सटाईल / बुनाई हाथकरघा प्रौद्योगिकी में 3 वर्ष का डिप्लोमा 2. हाथकरघा कपड़ा मूल्यांकन का सामान्य ज्ञान
4	कनिष्ठ ग्रामोद्योग विस्तार अधिकारी (तकनीकी)	18 वर्ष	40 वर्ष	10+2 प्रणाली के अंतर्गत भौतिक शास्त्र / रसायन शास्त्र / गणित के साथ उच्चतर माध्यमिक (12वी) उत्तीर्ण होना चाहिए	1. बुनाई में 3 वर्ष का अनुभव 2 हाथकरघा कपड़ा मूल्यांकन का सामान्य ज्ञान
5	तकनीकी सहायक	18 वर्ष	40 वर्ष	उच्चतर माध्यमिक (12वी) उत्तीर्ण होना चाहिए	हाथकरघा कपड़ा मूल्यांकन का सामान्य ज्ञान

अनुसूची – चार
(नियम 13 देखिए)

विभाग का नाम	उस पद का नाम जिससे पदोन्नति की जानी है ।	उस पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जानी है ।	पदोन्नति हेतु सेवा की न्यूनतम कालावधि	विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्यों के नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
मध्यप्रदेश हाथकरघा एवं हस्तशिल्प संचालनालय	मध्यप्रदेश हाथकरघा एवं हस्तशिल्प संचालनालय अराजपत्रित (अलिपिकवर्गीय) सेवा			
1.	सहायक ग्रामोद्योग विस्तार अधिकारी (हाथकरघा) (निरीक्षक हाथकरघा)	ग्रामोद्योग विस्तार अधिकारी (हाथकरघा)	5 वर्ष	1. अतिरिक्त संचालक/संयुक्त संचालक, ग्रामोद्योग (हाथकरघा/तकनीकी) – अध्यक्ष
				2 संयुक्त संचालक/उप संचालक ग्रामोद्योग (हाथकरघा/तकनीकी) – सदस्य
				3 संयुक्त संचालक/उप संचालक ग्रामोद्योग (हाथकरघा/तकनीकी) प्रभारी स्थापना – सदस्य
				4 अनूसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों से संबंधित एक नामनिर्दिष्ट सदस्य– सदस्य
2.	कनिष्ठ ग्रामोद्योग विस्तार अधिकारी (हाथकरघा)	सहायक ग्रामोद्योग विस्तार अधिकारी (हाथकरघा)	5 वर्ष	तदैव
3.	सहायक ग्रामोद्योग विस्तार अधिकारी (तकनीकी)	ग्रामोद्योग विस्तार अधिकारी (तकनीकी)	5 वर्ष	तदैव
4.	कनिष्ठ ग्रामोद्योग विस्तार अधिकारी (तकनीकी)	सहायक ग्रामोद्योग विस्तार अधिकारी (तकनीकी)	5 वर्ष	तदैव
5.	तकनीकी सहायक	कनिष्ठ ग्रामोद्योग विस्तार अधिकारी (तकनीकी)	5 वर्ष	तदैव

अनुसूची – पांच

(नियम 13 देखिए)

हाथकरघा संचालनालय के लिपिकवर्गीय कर्मचारिवृन्द में से सीमित प्रतियोगी परीक्षा द्वारा सहायक ग्रामोद्योग विस्तार अधिकारी (हाथकरघा)/ कनिष्ठ ग्रामोद्योग विस्तार अधिकारी (हाथकरघा) के पदों को भरने की स्कीम

1 **शीर्षक**– इस स्कीम का नाम हाथकरघा संचालनालय तथा उसके उप कार्यालयों के लिपिकवर्गीय कर्मचारिवृन्द में से चयन द्वारा सहायक ग्रामोद्योग विस्तार अधिकारी (हाथकरघा)/ कनिष्ठ ग्रामोद्योग विस्तार अधिकारी (हाथकरघा)के पदों को भरने की स्कीम है ।

2 **पात्रता**– हाथकरघा संचालनालय के लिपिकवर्गीय कर्मचारिवृन्द के केवल ऐसे सदस्य इस योजना का लाभ प्राप्त करने के पात्र होंगे जो निम्नलिखित अर्हताएं रखते हों, अर्थात् :–

(क) जो हाथकरघा संचालनालय में किसी लिपिकवर्गीय पद पर स्थायी या स्थानापन्न रूप से कम से कम 5 वर्षों से कार्य कर रहे हों;

जो सहायक ग्रामोद्योग विस्तार अधिकारी (हाथकरघा)/ कनिष्ठ ग्रामोद्योग विस्तार अधिकारी (हाथकरघा) के पद पर सीधी भर्ती के लिए अनुसूची तीन में विहित शैक्षणिक योग्यता रखते हों;

जिनकी आयु चयन किए जाने वाले वर्ष की 1 जनवरी को 40 (चालीस वर्ष) से अधिक न हो और अनूसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारिवृन्द के लिए 45 (पैंतालीस) वर्ष होगी ।

(ब) इस योजना के अधीन किसी भी व्यक्ति को परीक्षा में तीन बार से अधिक शामिल होने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

3 **चयन** – नियुक्ति के लिए चयन (एक) इस स्कीम के अधीन ली गई लिखित परीक्षा में अभिप्राप्त अंको और (दो) संबंधित कर्मचारिवृन्द की पिछली पांच वर्ष की चरित्रावलियों के मूल्यांकन के आधार पर किया जाएगा ।

4 परीक्षा – (एक) प्रत्येक वर्ष या ऐसे अंतरालों पर, ऐसी तारीख या तारीखों को तथा ऐसे स्थान या स्थानों पर जैसा कि नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा विनिश्चित किया जाए, लिखित परीक्षा होगी ।

(दो) लिखित परीक्षा में प्रत्येक 50 अंक वाले दो प्रश्न पत्र होंगे, उत्तीर्ण होने के लिए किसी भी अभ्यर्थी को प्रत्येक प्रश्न पत्र में पृथक रूपसे 50 % अंक अभिप्राप्त करना होगा।

(तीन) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा प्रश्न--पत्र तैयार कराए जाएंगेऔर जिनमें निम्नलिखित समावेशित होगाः–

प्रश्न--पत्र प्रथम– सामान्य हिन्दी का ज्ञान, सामान्य ज्ञान तथा प्रारंभिक अंकगणित

प्रश्न–पत्र द्वितीय– (1) शासकीय सेवा से संबंधित साधारण नियमों का ज्ञान

(2) हाथकरघा संचालनालय द्वारा उपयोग की जा रही शब्दावली का ज्ञान

(3) मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 तथा उसके अधीन बनाए गए नियम तथा प्रवृत्त विभागीय योजनाएं ।

(चार) प्रश्न–पत्रों के लिए पाठ्यक्रम उपाबंध में दिए गए अनुसार होगा ।

(पांच) परीक्षा में शामिल होने के लिए केवल वे कर्मचारी पात्र होंगे जो उपरोक्त पैरा–2 में उल्लिखित अर्हताओं को पूरा करते हों । परीक्षा के लिए नियत तारीख से कम से कम एक मास पूर्व नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा परीक्षा में शामिल होने की वांछा रखने वाले कर्मचारी में से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाएंगे और केवल उनको जो शामिल होने के पात्र पाए जाएं, परीक्षा की तारीख, समय तथा स्थान सूचित किया जाएगा ।

(छह) उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नामनिर्दिष्ट संबंधित विभाग के अधिकारियों द्वारा किया जाएगा ।

(सात) ऐसे कर्मचारियों की पृथक् से सूची तैयार की जायेगी जिन्होंने प्रश्नपत्रों में कुल अंकों का 50 प्रतिशत या अधिक अंक अभिप्राप्त किए हैं ।

5 चरित्रावली का मूल्यांकन करना तथा चयन की अंतिम सूची –

(एक) ऐसे कर्मचारियों के जिनके नाम उपर पैरा 4 (तीन) के अनुसार तैयार की गई सूची में है पांच वर्षों की गोपनीय चरित्रावली का मूल्यांकन अनुसूची चार के कालम (5) के अनुसार विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा किया जाएगा ।

(दो) ऐसे प्रत्येक कर्मचारी को प्रत्येक वर्ष की चरित्रावली के लिए 20 अंकों में से निम्नलिखित आधार पर अंक समनुदेशित किए जाएंगे :–

उत्कृष्ट / बहुत अच्छा	..	..	..	20
अच्छा	..	..	..	15
सामान्य	..	..	..	10

(तीन) 100 अंकों में से चरित्रावली के आधार पर प्रत्येक कर्मचारी को समनुदेशित किए गए अंक परीक्षा में उसके द्वारा अभिप्राप्त किए गए अंकों के सामने लिखे जाएंगे और अंकों का योग किया जाएगा ।

(चार) चयन की अंतिम सूची परीक्षा में और चरित्रावली के मूल्यांकन करने में अभिप्राप्त किए गए अंकों के अनुसार तैयार की जाएगी । सहायक ग्रामोद्योग विस्तार अधिकारी (हाथकरघा) / कनिष्ठ ग्रामोद्योग विस्तार अधिकारी (हाथकरघा) के पदों पर लिपिकवर्गीय सेवा के लिए 10 प्रतिशत कोटा में नियुक्ति इस सूची में से उसी क्रमानुसार से की जाएगी, जिस क्रम में उनके नाम आते हों;

(पांच) इस योजना के अधीन सहायक ग्रामोद्योग विस्तार अधिकारी (हाथकरघा) / कनिष्ठ ग्रामोद्योग विस्तार अधिकारी (हाथकरघा) के रूप मे नियुक्त किए गए लिपिकवर्गीय कर्मचारी की पारस्परिक वरिष्ठता उपर तैयार की गई चयन की अंतिम सूची में दी गई वरिष्ठता पर आधारित होगी ।

6 **परिवीक्षा** – इस योजना के अधीन नियुक्त किया गया प्रत्येक कर्मचारी दो वर्ष के लिए परिवीक्षा पर रखा जाएगा । इस कालावधि के दौरान उस पद के लिए विहित किया गया प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा और विभागीय परीक्षा यदि विहित की जाए, उत्तीर्ण करना होगी, यदि परिवीक्षा की कालावधि के दौरान किसी कर्मचारी कों सहायक ग्रामोद्योग विस्तार अधिकारी (हाथकरघा) / कनिष्ठ ग्रामोद्योग विस्तार अधिकारी (हाथकरघा) के पद के लिए उपयुक्त नहीं पाया जाए तो उसको उसके मूल लिपिकवर्गीय पद पर प्रत्यावर्तित किया जा संकेगा, लिपिकवर्गीय पद पर प्रत्यावर्तित होने पर ऐसे प्रत्यावर्तित कर्मचारी की परिवीक्षा कालावधि के दौरान की गई सेवा की कालावधि लिपिकवर्गीय पद पर उसके द्वारा बिताई गई सेवा की कालावधि के रूप में समझी जाएगी ।

उपाबंध
प्रश्न पत्रों का पाठ्यक्रम

प्रश्न पत्र एक		प्रश्न पत्र दो
(कुल अंक 50)		(कुल अंक 50)
(समय 2– घण्टा)		(समय 2– घण्टा)

(एक) सामान्य ज्ञान (15 अंक) सामयिक घटनाओं, भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल तथा संबंधित विषयों से संबंधित सामान्य जानकारी पर आधारित प्रश्न और मध्यप्रदेश के बारे में सामान्य जानकारी पर आधारित प्रश्न (केवल 3 प्रश्न)	(एक) शासकीय सेवा नियमों का ज्ञान (20 अंक) वेतन, भत्ते अवकाश सामान्य भविष्य निधि योजना से संबंधित नियमों का प्रारंभिक ज्ञान । सेवा में भर्ती के नियमों का ज्ञान, शासकय सेवकों के आचरण से संबधित नियमों का ज्ञान (3 प्रश्न)
(दो) सामान्य हिन्दी (15 अंक) समान शब्दों में भिन्नता, निबंध, किसी विषय पर लगभग 150 (विचारों की अभिव्यक्ति) पर आधारित संक्षिप्त प्रश्न	(दो) शब्दावली का ज्ञान (15 अंक) विभिन्न पदनामों और विभाग की शब्दावली, जिसका विशिष्ट अर्थ होता है । जिसके ज्ञान की दिन प्रतिदिन के कार्यकलापों में आवश्यकता होती है, का सामान्य ज्ञान ।
(तीन) प्रारंभिक अंकगणित (20 अंक) गुणा, भाग दशमलव, भिन्न, प्रतिशत, हानि और लाभ औसत, क्षेत्र आयतन, समानुपातिक अनुपात (4 प्रश्न)	(तीन)विभागों से संबंधित नियमों का ज्ञान मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 तथा उसके बनाए गए नियमों में प्रवृत्त विभागीय योजनाओं का ज्ञान (15 अंक)

No. F-1-41-LII-1.—In exercise of the powers conferred by the proviso to articale 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby, makes the following rules relating to the recruitments and promotions of the Directorates of Handlooms and Handicrafts Madhya Pradesh, Non-Gazetted (Non-Ministerial) Service, namely:—

RULES

1. **Short title and commencement.-** (1) These Rules may be called the Madhya Pradesh Directorate of Handlooms and Handicrafts Non-Gazetted (Non-Ministerial) Service Recruitment Rules, 2014.

(2) These rules shall come into force with effect from the date of their publication in the Madhya Pradesh Gazette.

2. **Definitions.** - In these rules, unless the context otherwise requires,-

(a) "Appointing Authority" in respect of the service means Commissioner / Director, Handlooms and Handicraft or any officer subordinate to him;

(b) "Committee" means the Selection Committee/Departmental Promotion Committee;

(c) "Examination" means a competitive examination for recruitment to the service held under rules 11;

(d) "Government" means the Government of Madhya Pradesh;

(e) "Governor" means the Governor of Madhya Pradesh;

(f) "Other Backward Classes" means the other backward classes of citizens as specified by the State Government vide notification No. F. 85/XXV/4/84 dated 26th December, 1984 as amended from time to time;

(g) "Professional Examination Board" means the Professional Examination Board.

(h) "Schedule" means the schedule appended to these rules;

(i) "Scheduled Castes" means any caste, race or tribe or part of or group within a caste, race or community specified as Scheduled Castes with respect to the State of Madhya Pradesh under Article 341 of the Constitution of India;

(j) "Scheduled Tribes" means any tribe, tribal community or part of or group within a tribal community specified as Scheduled Tribes with respect to the State of Madhya Pradesh under Article 342 of the Constitution of India;

(k) "Service" means the Madhya Pradesh Directorate of Handlooms and Handicrafts Non-Gazetted (Non-Ministerial) Service;

(l) "State" means the State of Madhya Pradesh.

3. Scope and application. – Without prejudice to the generality of the provisions contained in the Madhya Pradesh Civil Service (General Conditions of Service) Rules, 1961, these rules shall apply to every members of the Service as mentioned in **Schedule-I.**

4. Constitution of the Service. – The service shall consist of the following persons, namely: -

(1) The persons who at the time of commencement of these rules are holding substantively or in officiating capacity the posts specified in Schedule-I;

(2) The persons recruited to the Service before the commencement of these rules; and

(3) The persons recruited to the Service in accordance with the provisions of these rules.

5. Classification of Service, Scale of Pay, etc. – (1) The classification of the service, the number of posts included in the service and the scale of pay attached thereto shall be in accordance with the provisions contained in Schedule-I:

Provided that the Government may, from time to time, add to or reduce the number of posts included in the service, either on a permanent or temporary basis.

(2) Members of the Service shall be entitled to get Time-Scale of pay under the Finance Department's Circular No.F-11-1-2008-IV-4 dated 24.02.2008.

6. Method of recruitment. – (1) Recruitment to the service, after the commencement of these rules, shall be made by one of the following methods, namely: -

(a) by direct recruitment through Competitive Examination/Selection or interview are by both;

(b) by promotion of the members of the service as specified in column (2) of Schedule IV;

(c) by transfer of persons who holds in a substantive or in officiating capacity such posts in such services as specified in this behalf.

(2) The number of persons recruited, under clause (b) or clause (c) of sub-rule(l) shall not, at any time, exceed the percentage as shown in Schedule-II of the number of posts as specified in Schedule-I.

(3) Subject to the provisions of these rules, the method or methods of recruitment to be adopted for the purpose of filling any particular vacancy or vacancies in the service as may be required to be filled during any particular period of recruitment and the number of persons to be recruited by each method, shall be determined on each occasion by the Government in consultation with the commission, if required.

(4) Notwithstanding anything contained in sub-rule (l), if in the opinion of the Government the exigencies of the service so require, it may after concurrence of the General Administration Department, adopt such methods of recruitment to the service, other than those specified in the said sub-rule, as it may, by order issued in this behalf, prescribe.

7. Appointment to the Service. – All appointments to the service or post after the commencement of these rules shall be made by the Government and no such appointment shall be made except after selection by one of the methods of recruitment specified in rule 6.

8. Conditions of eligibility for direct recruitment. – In order to be eligible for selection or examination a candidate must satisfy the following conditions, namely: -

(1) Age-

(a) He must have attained the age as specified in column (3) of Schedule III and not attained the age as specified in column (4) of the said Schedule on the first day of January next following the date of commencement of the examination / selection.

(b) The upper age limit shall be relaxable up to a maximum of 5 years if a candidate belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes and Other Backward Classes.

(c) The age limit shall also be relaxable in respect of candidates who are or have been employees of the Madhya Pradesh Government to the extent and subject to the conditions specified below: -

(i) A candidate who is a permanent Government Servant should not be more than 45 years of age;

(ii) A candidate holding a post temporary and applying for another post should not be more than 45 years of age. This concession shall also be admissible to the contingency paid employees, work charged employees and employees working in the Project Implementing Committees;

(iii) A candidate, who is a retrenched Government servant, shall be allowed to deduct from his age the period of all temporary service previously rendered by him up to a maximum limit of 7 years even if it represents more than one spell, provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than 5 years;

Explanation- The term "retrenched Government servant" denotes a person who was in temporary Government service of this State or of any of the constituent units for continuous period of not less than six months and who was discharged because of reduction in establishment not more than three year prior to the date of his registration made otherwise for employment in Government service.

(iv) A candidate, who is an ex-serviceman, shall be allowed to deduct from his age the period of all defence service previously rendered by him, provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than three years.

Explanation- The term "ex-servicemen" denotes a person, who belonged to any of the following categories and who was employed under the Government of India, for a continuous period of not less than six months, and who was retrenched or declared surplus as a result of the recommendation of the Economy Unit or due to normal reduction in establishment not more than three years before the date of his registration at any employment exchange or of application made otherwise for employment in Government Service: -

(1) Ex-servicemen released under mustering out concessions.

(2) Ex-servicemen enrolled for the second time and discharged on-

(a) completion of short term engagement;

(b) fulfilling the conditions of enrolment;

(3) Ex-personnel of Madras Civil Unit;

(4) Officers (Military and Civil) discharged on completion of their contract including Short Service Regular Commissioned Officer;

(5) Officers discharged after working for more than six months continuously against leave vacancies;

(6) Ex-servicemen invalidated out of service;

(7) Ex-servicemen discharged on the ground that they are unlikely to become efficient soldiers;

(8) Ex-servicemen who are medically boarded out on account of gun-shot, wounds etc;

(d) The general upper age limit shall be relaxable upto maximum five years in respect of awarded superior caste partner of a couple under the inter cast marriage. Incentive programme of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other Backward Classes welfare department

(e) The upper age limit shall be relaxable upto five years in respect of widow, destitute and divorced woman candidates.

(f) The upper age limit shall be relaxed upto a maximum of 2 years in respect of Green Card holders under the family planning programme.

(g) The upper age limit shall be relaxed five years in respect of Vikram Award holder candidates.

(h) The upper age limit shall be relaxable upto a minimum of 45 years of age in respect of candidate who are employees of the Madhya Pradesh State Corporation/Board.

(i) The general upper age limit shall be relaxed in case of Voluntary Home- guards and Non-Commissioned Officers of Home-guards for a period of service rendered by them subject to the limit of 3 years but in no case their age should exceed 45 years.

(j) The upper age limit shall be releasable to the destitute candidates as per instructions issued by the State Government from time to time.

Note (1) Candidates, who are found eligible to the examination/selection under the age concessions mentioned in sub-clause (i) and (ii) of clause (c) of sub-rule (1) of rule 8 above will not be eligible for appointment, if after submitting the application, they resign from service either before or after examination/selection. They shall, however, continue to be eligible if they are retrenched from the service or post after submitting the application. In no other case their age limit shall be relaxed.

(2) Departmental candidates must obtain previous permission of the Appointing Authority to appear for the selection.

(3) In any case the maximum age limit in all cases shall not be exceed 45 years after including all type of age concessions provided this clause. The maximum age limit shall be calculated in accordance with the General Administration Department's circular No. 3-11/12/1/3, dated 03.11.12 and 20.11.12.

(2) Educational Qualifications.- A candidate must possess the educational qualifications prescribed for the service as specified in Schedule III. Provided that,-

(a) In exceptional cases, the Professional Examination Board, may on its recommendation with the Government treat as qualified any candidate, who though not possessing any of the qualifications prescribed in this clause but has passed the examinations conducted by other institutions by such a standard which in the opinion of the Professional Examination Board justify the consideration of the candidate to appear in the selection/examination.

(b) Candidates who are otherwise qualified but have taken degree from Foreign Universities, being Universities not specifically recognized by Government, may also be considered for selection on the discretion of the Professional Examination Board.

(3) Fees- The Candidate must pay the fees prescribed by the Professional Examination Board.

9. Disqualifications. – (1) Any attempt on the part of a candidate to obtain support for his candidature by any means may be held by the Professional Examination Board to disqualify him appearing in the examination/ selection.

(2) No candidate shall be eligible for appointment to the service, who is married before the minimum age fixed for marriage.

(3) No person shall be eligible for any service or post, if he has more than two living children one of whom is born on or after the 26th day of January, 2001:

Provided that no candidate shall be disqualified on ineligible for appointment to a service or post, who has already one living child and next delivery takes place on or after 26th day of January, 2001 in which two or more than two children are born.

(4) No candidate shall be eligible for appointment to the service or post who has been convicted for an offence against women:

Provided that if there is any case is pending in a court against a Candidate, then his appointment shall be kept pending till the final decision of the criminal case.

(5) A male candidate who has more than one wives alive and female candidates who marries with male who has already one wife alive will not be eligible for appointment to the service or post.

10. Department's decision about the eligibility of candidates shall be final. – The decision of the Commission as to the eligibility or otherwise of candidate for admission to selection shall be final and no candidate to whom certificate of admission has been issued by the Professional Examination Board shall be allowed to appear in the examination/interview.

11. Direct recruitment by competitive examination.- (1) The competitive examination for recruitment shall be held at such intervals as the Government may, in consultation with the Board from time to time, determine.

(2) The examination shall be conducted by the Board in accordance with the orders issued by the Government from time to time.

(3) There shall be 16 percent and 20 percent reserved posts for the persons belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and 14 percent for Other Backward Classes at the stage of the direct recruitment. 6 percent post shall be reserved for Physically challenged persons and of them each two percent posts for blindness or low vision, hearing impairment and loco meter shall be reserved.

(4) At the time of filling the vacancies so reserved, candidates who are the members of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes shall be considered for appointment in order in which their names appear in the list referred to in rule 12 irrespective of their relating rank as compared with other candidates.

(5) Candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes selected by the VYAPAM to be suitable for appointment to the service with due regard to the maintenance of efficiency of administration may be appointed to the vacancies reserved for the candidates as mentioned in sub-rule (3) the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes, as the case may be.

(6) If sufficient number of candidates are not available to fill the vacancies reserved for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes the remaining vacancies shall not be filled by other category of candidates and the posts shall be carried forward till the suitable candidates are not available to the service.

(7) In such cases, where experience of some period has been prescribed as an essential condition for the posts to be filled in by direct recruitment and it is found in the opinion of the Appointing Authority or Competent Authority that there is a possibility, the candidates belonging to the Scheduled Castes Scheduled Tribes and Other Backward Classes may not be available in sufficient number, the Appointing Authority may relax the condition of experience to the candidates of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes.

(8) The posts shall be reserved for disabled persons as mentioned in sub-rule (3) by the Government. This reservation shall be horizontal and compartment wise.

12. List of candidate recommended by the Selection Committee.- (1) The appointing authority shall prepare and published a list arranged in order of merit of the candidates, who are qualified by such standard as determined by the appointing authority and a list of the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes, who though not qualified by that standard, but are declared by the committee to be suitable for appointment to the service with due regard to the maintenance of efficiency in administration and the list shall also be published for general information.

(2) Subject to the provisions of these rules and the Madhya Pradesh Civil Service (General Conditions of Service) Rules, 1961, candidate shall be considered for appointment to the available vacancies in order in which their names appear in the list.

(3) The inclusion of a candidate's name in the list confer no right to appointment unless the appointing authority is satisfied that such enquiry as it may considered necessary that the candidate is suitable in all respect appointment to the service.

13. Direct recruitment by selection of post of Assistant Rural Development Officer Handloom/Junior Rural Development Officer Handloom from ministerial staff through limited competitive examination.-

(1) For filling up the post of Assistant Rural Development Officer Handloom/Junior Rural Development Officer Handloom by selection from amongst the ministerial staff of Directorate of Handlooms and its subordinate offices the appointing authority shall hold

annually at such time as he may determine a limit competitive examination in accordance with the scheme laid down in Schedule-V.

(2) 16%, 20% and 14% of the available vacancies for such appointment shall be reserved for candidates who are members of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes respectively.

(3) In filling up the vacancies so reserved candidates, who are the members of Scheduled Castes and Scheduled Tribes shall be considered for appointment in the order in which their names appear in the select list referred to in sub-rule (1) above irrespective of their relative rank as compared with other candidates.

(4) If sufficient number of candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes are not available for filling all the vacancies reserved for them, the remaining vacancies shall not filled from the other candidates without permission of the State Government.

(5) List of suitable candidates recommended for appointment:- A list, arranged in order of merit of the candidates who have qualified by such standard as has been laid down in Schedule-V, and of the candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes who though not qualified by that standard and declared by the appointing authority to be suitable for appointment with due regard to the maintenance of the efficiency of administration, shall be prepared.

(6) Subject to the provisions of these rules, candidates shall be considered for appointment to the available vacancies in order in which their names appear in the list.

(7) the inclusion of a candidate's name in the select list confers no right to the appointment, unless the appointing authority is satisfied after such enquiry as may be considered necessary, that the candidates is suitable in all respects for appointment to the service.

14. **Appointment by promotion.-** (1) There shall be constituted a Committee, consisting of the members mentioned in Schedule-IV for making a preliminary selection for promotion of eligible candidates.

(2) The Committee shall meet at such intervals as it thinks fit but ordinary not exceeding one year.

(3) Reservation in promotion and limits to the extent of zone of consideration shall be made in accordance with the provisions of the Madhya Pradesh Civil Services (Reservation in Promotion and limits of extent of zone of consideration) Rules, 1997 and instructions issued by the Government in General Administration Department from time to time.

15. Conditions of eligibility for promotion.- (1) The committee referred to in sub-rule (1) of rule 15, shall consider the cases all persons who on the 1st day of January of that year had completed such number of years of service (whether officiating or substantive) in the post from which promotion is to be made or on any other post or posts declared equivalent thereto by the Government as specified in column (3) of the Schedule-IV and are within the zone of consideration in accordance with the provisions of sub-rule (3):

Provided that no junior person shall be considered for selection, in preference to the persons senior to him only on the basis of completing the prescribed period of service.

16. Preparation of the list of suitable candidates.- (1) The Departmental Promotion Committee shall prepare a list of such persons, who satisfy the conditions prescribed in rule 15 above and are held by the Committee to be suitable for promotion to the service. The list shall be sufficient to cover the anticipated vacancies on account of retirements and promotion during the course of one year from the date of preparation of the select list. A reserve list of the 25% of the number of persons included in the said list shall also be prepared to meet the unforeseen vacancies occurring during the course of the aforesaid period.

(2) The selection for inclusion in such list shall be based on merit and suitability in all respects with due regard to seniority.

(3) The names of the persons included in the list shall be arranged in order of seniority in the service on posts as specified in column (2) of Schedule-IV at the time of preparation of such select list.

Explanation: A person, whose name is included in a select list but who is not promoted during the validity of the list shall have no claim to seniority over those considered in a subsequent selection merely by the fact to his earlier selection.

(4) The list so prepared shall be reviewed and revised every year.

(5) If in the process of selection, review or revision, as the case may be, it is proposed to supersede any member of service, the Committee shall record its reasons for the proposed supersession.

17. **Select List.-** (1) The list finally approved by the Commissioner shall be the select list for promotion of the members of the service from the posts mentioned in column (2) of the Schedule-IV to the post mentioned in column (3) of the said Schedule.

(2) The select list shall ordinarily be in force for one year or until it is reviewed or revised but its validity shall not extended beyond a total period of 18 months from the date of its preparation.

18. **Appointment to service from select list.-** (1) Appointment to the post or service cadre posts from the select list shall be made with the provisions of the Madhya Pradesh Lok Seva (Anusuchit Jati, Anusuchit Jan Jati Aur Anya Pichhade Vargon Ke Liye Arakshan) Adhiniyam, 1994 (No. 21 of 1994) by the State Government subject to the roaster prescribed from the appointment. The roaster shall be maintained by the Department.

(2) It shall not ordinarily be necessary to consult the committee before the appointment of a person, whose name is included in the select list unless during the period intervening between the inclusion of his name in the select list and the date of his proposed appointment there occurs any deterioration in his work which in the opinion of the Appointing Authority is such as to render him unsuitable for appointment in the service.

19. **Probation.-** Every person directly recruited to the service shall be appointed on probation for a period of two years.

20. **Gradation List.-** A gradation list of employees of this cadre shall be prepared and published every year according to the posts specified in Schedule-I. In such list names of employees shall be shown according to their seniority in the service.

21. **Interpretation.-** If any question arises relating to the interpretation of these rules, it shall be referred to the Government, whose decision thereon shall be final.

22. **Relaxation.-** Nothing in these rules shall be construed to limit or abridge the powers of the Governor to deal with the case of any person to whom these rules apply in such manner as may appear to him to be just and equitable:

Provided that the case shall not be dealt with in any manner less favourable to him than that provided in these rules.

23. Saving.- Nothing in these rules shall affect reservation and other conditions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes in the orders issued by the State Government from time to time in this regard.

24. Repeal.- All rules corresponding to these rules and inforce immediately before the commencement of these rules are hereby repealed in respect of matters covered by these rules:

Provided that any order made or action taken under the rules so repealed shall be deemed to have been made or taken, under the corresponding provisions of these rules.

SCHEDULE-I
(See rule 5)

Classification, Pay Scale and number of post included in the service

S.No.	Name of the post included in the service	Number of Posts	Classification	Scale of Pay
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Rural Industries Extension Officer (Handloom)	28	Madhya Pradesh Directorate of Handlooms and Handicraft Non-Gazetted (Non-Ministerial) Service	9300-34800+ 3600
2.	Assistant Rural Industries Extension Officer(Handloom)	30	-do-	5200-20200+ 2400
3.	Junior Rural Industries Extension Officer(Handloom)	35	-do-	5200-20200+ 2100
4.	Rural Industries Extension Officer (Technical)	25	-do-	9300-34800+ 3600
5.	Assistant Rural Industries Extension Officer(Technical)	30	-do-	5200-20200+ 2800
6.	Junior Rural Industries Extension Officer(Technical)	35	-do-	5200-20200+ 2100
7.	Technical Assistant	15	-do-	5200-20200+ 1900

SCHEDULE-II
(see rule 6)

S.No.	Name of the Post included in the service	Total No. of Posts	Percentage of the number of post to be filled in			Remark
			By direct recruitment [see rule 6(1)(a)]	By promotion [see rule 6(1)(b)]	Transfer from other Services if any [see rule 6(1)(c)]	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Madhya Pradesh Directorate of Handlooms and Handicraft Non-Gazetted (Non-Ministerial) Service						
1.	Rural Industries Extension Officer (Handloom)	28	----	100%	--	
2.	Assistant Rural Industries Extension Officer(Handloom)	30	40% *10%	50%	---	*Through Ministerial cadre
3.	Junior Rural Industries Extension Officer(Handloom)	35	90% *10%	---	--	*Through Ministerial cadre
4.	Rural Industries Extension Officer (Technical)	25	--	100%	--	--
5.	Assistant Rural Industries Extension Officer(Technical)	30	50%	50%	--	--
6.	Junior Rural Industries Extension Officer(Technical)	35	85%	15%	--	--
7.	Technical Assistant	15	100%	--	--	--

SCHEDULE-III
(See rule 8)

Age and Eligibility for Direct Recruitment

Name of Department	Name of the Post or service	Minimum Age Limit	Maximum Age Limit	Minimum Educational Qualification	Technical Qualification and Experience
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Madhya Pradesh Directorate of Handlooms and Handicraft	Madhya Pradesh Directorate of Handlooms and Handicraft Non-Gazetted (Non-Ministerial) Service				
	1. Assistant Rural Industries Extension Officer(Handlooms)	18 years	40 years	Graduate from any recognized University in Arts/ Commerce/ Science Subjects	--
	2. Junior Rural Industries Extension Officer(Handlooms)	18 years	40 years	Graduate from any recognized University in Arts/ Commerce/ Science Subjects	
	3. Assistant Rural Industries Extension Officer(Technical)	18 years	40 years	Must have passed Higher Secondary (12^{th} pass)/ under the 10+2 pattern	3 years Diploma in Textile/ Weaving Handloom Technology
	4. Junior Rural Industries Extension Officer(Technical)	18 years	40 years	Must have passed Higher Secondary (12^{th} pass) under the 10+2 pattern with Physics/Chemistry /Mathematics	1. Three years experience Weaving 2. General knowledge of Handloom weaving/cloth valuation
	5. Technical Assistant	18 years	40 years	Must have passed Higher Secondary (12^{th} pass)/ under the 10+2 pattern	1. Three years experience Weaving 2. General knowledge of Handloom cloth valuation

SCHEDULE-IV
(See rule 13)

Name of the Department	Name of the Post from which Promotion is to be made	Name of Post to which promotion is to be made	Minimum period of service for promotion	Name of Members of Departmental Promotion Committee
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Madhya Pradesh Directorate of Handlooms and Handicraft	Madhya Pradesh Directorate of Handlooms and Handicraft Non-Gazetted (Non-Ministerial)			
	1. Assistant Rural Industries Extension Officer(Handloom) (Inspector Handloom)	Rural Industries Extension Officer (Handloom)	5 years	1. Additional Director / Joint Director Gramodyog (Handloom / Technical) - Chairman 2. Joint Director / Deputy Director Gramodyog (Handloom / Technical) - Member 3. Joint Director / Deputy Director Gramodyog (Handloom / Technical) incharge Establishment - Member 4. One nominated member belonging to Scheduled Castes/ Scheduled Tribes - Member
	2. Junior Rural Industries Extension Officer (Handloom)	Assistant Rural Industries Extension Officer (Handloom)	5 years	-do-

	3. Assistant Rural Industries Extension Officer (Technical)	Rural Industries Extension Officer (Technical)	5 years	-do-
	4. Junior Rural Industries Extension Officer (Technical)	Assistant Rural Industries Extension Officer (Technical)	5 years	-do-
	5. Technical Assistant	Junior Assistant. Rural Industries Extension Officer (Tcchnical)	5 years	-do-

SCHEDULE V
(see rule 13)

Scheme for filling up posts of Assistant Rural Industries Extension officer (Handloom) / Junior Assistant Rural Industries Extension officer (Handloom) by limited competitive examination from amongst the ministerial staff of Directorate of Handlooms.

1. Title - This scheme will be called the scheme for filling up the post of Assistant Rural Industries Extension officer (Handloom) / Junior Assistant Rural Industries Extension officer (Handloom) by selection from amongst the ministerial staff of the Directorate of Handlooms and its sub offices.

2. Eligibility –

(a) Only such members of ministerial staff of the Directorate of Handlooms shall be eligible for getting the benefit of this scheme who possess the following qualifications namely :-

Who have been working on any ministerial Post in the Directorate of Handlooms for at least 5 years in permanent or officiating capacity ;

Who possess the educational qualifications prescribed for direct recruitment for the post of Assistant Rural Industries Extension officer (Handloom) / Junior Assistant Rural Industries Extension officer (Handloom) in Schedule III;

Whose age on Is January of the year in which selection is held does not exceed of 40 (Forty years) and for employees belonging to Scheduled Castes and /scheduled Tribes will be forty-five years.

(b) No person shall be allowed to appear more than three times in the examination under this scheme.

3. Selection - Selection for appointment shall be based on (i) marks obtained at the written examination held under this scheme and (ii) appraisal of the character rolls of the employees concerned for the last five years.

4. Examination - (i) There shall be a written examination every year or at such intervals, on such date or dates and at such place or places as the appointing authority may decide.

(ii) In the written examination, there will be two question papers of 50 Marks each. A candidate in order to be successful must obtain at least 50% marks in each paper separately.

(iii) Question papers shall be got set by the appointing authority and will cover the follow -

Question paper I - General knowledge of ordinary Hindi and Elementary Arithmetic.

Question paper II - (1) Knowledge of ordinary rules relating of Government service.

(2) Knowledge of terminology used by the Directorate of Handlooms.

(3) M.P. Co-operative Societies Act, 1960 and rules framed there under and the Departmental Schemes in force.

(iv) Syllabus for the question papers will be as set out in Annexure.

(v) Only those employees shall be eligible for appearing at the examination who satisfy the qualifications mentioned in para 2 above. Application from employees desirous of appearing at the examination will be invited by the appointing authority at least one months before the date fixed for the examination and only those who are found eligible to appear will be informed of the date, time and place of the examination.

(vi) Valuation of answer books will be done by officers of the concerned Department nominated by the appointing authority.

(vii) A list of employees who obtain 50% of more of total marks in the question papers separately will be prepared.

5. Appraisal of Character Rolls and final list of selection-

(i) Confidential character rolls for five years of those employees whose names appear in the list prepared as per para 4 (iii) above, shall be appraised by the Departmental Promotion Committee as per column (5) of the Schedule IV;

(ii) Each such employees as will be assigned marks out 20 marks for each years character Roll on the following basis -

Outstanding/ Very good	20
Good	15
Ordinary	10

(iii) Total marks assigned to each employees on the basis of Character Rolls, out of 100, will be posted against the marks obtained by him at eh examination and total will be struck.

(iv) Final list of selection will be prepared according to the total number of marks obtained at the examination and in the appraisal of the Character Rolls. Appointment to the posts of Assistant Rural Industries Extension officer (Handloom) / Junior Assistant Rural Industries Extension officer (Handloom) against the 10% quota fixed for ministerial services will be made from this list according to the order in which the names appears;

(v) The inter-se-seniority of the Ministerial employees appointed as Assistant Rural Industries Extension officer (Handloom) / Junior Assistant Rural Industries Extension officer (Handloom) under this scheme, shall be based on the seniority given in the final list of selection prepared as above.

6-.Probation - Every employees appointed under this scheme shall be placed on probation for two years. During this period he will have to under go the training prescribed for the post and pass the Departmental examination, if prescribed if any employees is not found suitable for the post of Assistant Rural Industries Extension officer (Handloom) / Junior Assistant Rural Industries Extension officer (Handloom), during the probationary period he may be reverted to his original ministerial post on reversion to the ministerial post of period of service rendered during the probationary period of such reverted employees will be treated as period of service spent on ministerial post.

ANNEXURE

Syllabus of Question Papers

Question Paper I	Question Paper II
(Total Marks 50)	(Total Marks 50)
(Time 2 1/2 Hours)	(Time 2 1/2 Hours)
(i) General knowledge (15 Marks)	(i) Knowledge of Government Service Rules (20 Marks)
Question based on general information relating to current events, Indian History, Indian Geography and allied topics and questions based on general information about Madhya Pradesh (only 3 questions).	Elementary knowledge of rules, relating to pay allowances, leave, General Provident Fund Scheme. General knowledge Rules of recruitment in service, a basic knowledge of rules relating to conduct of Govt. Servants.
(ii) General Hindi (15 marks)	(ii) knowledge of Terminology (15 marks)
Brief question based on difference between similar words, Essay (Expression of thoughts) on any one subject in about 150 (3 questions)	General knowledge of different designation and terminology in the Department which carry specific meaning, knowledge of which is necessary for day to day functioning.
(iii) Elementary Arithmetic (20 marks)	(iii) knowledge of rules relating to Department (15 marks)
Multiplication, Division, Decimal Fraction, Percentage, Profits and losses Average, Area, Volume, Ration proportion. (4 Questions)	Madhya Pradesh Co-operative Societies Act. 1960 and rules made there under. Knowledge of Departmental Schemes in force.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कुसुम ठाकुर, उपसचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2015.